न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष प्रथम–सह–विशेष न्यायालय, सुपौल।

परिवाद पत्र (SC/ST) सं0 – 27सी/2022

24/08/2023

परिवादी अजय पासवान की ओर से वजरिये अधिवक्ता हाजरी दी गयी। वाद पुकारा गया। पुकार पर उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख आदेश हेतु उपस्थापित किया गया।

प्रस्तुत वाद परिवादी के द्वारा अभियुक्त 1. शिव नारायण कामत, 2. उमेश कामत, 3. संतोष कुमार सुधाकर, 4. सत्य नारायण साह, 5. सत्य नारायण कामत एवं 6. शिव मुखिया के विरुद्ध दायर किया गया है। परिवादी का शपथ पर बयान लेने के पश्चात जांच साक्ष्य के क्रम में उपस्थित 03 साक्षी क्रमशः बिहारी मुखिया, रिंकु कुमार एवं पवन कुमार पासवान का जांच साक्ष्य कराया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। परिवादी का शपथ पर बयान एवं जॉच साक्ष्य के क्रम में उपस्थित जांच साक्षियों के साक्ष्य का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से परिवाद पत्र के नामित सभी **अभियुक्त 1. शिव नारायण कामत, 2. उमेश कामत, 3. संतोष कुमार सुधाकर, 4. सत्य नारायण साह, 5. सत्य नारायण कामत एवं 6. शिव मुखिया के विरूद्ध धारा 379, 504, 506/34 भा0दं0वि0 एवं 3(i)(r)(s) SC/ST Act के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला परिलक्षित होता है** तथा सभी अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। अतः अभिलेख विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है। परिवादी को निर्देश दिया जाता है कि आवश्यक अपेक्षिकाऐं दाखिल करें। तत्पश्चात् कार्यालय लिपिक सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सम्मन जारी करें।

दिनांक 01/09/23 आपेक्षित दाखिल करने वास्ते।

Nisha Kant Thakur

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष–प्रथम–
सह–विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0),
सुपौल